

3-4-24

वकील कपीलानंद उपाध्याय वकील कपीलानंद की द्वारा जमा  
वकील कपीलानंद ने लयन विरुद्ध कि प्रकृत से संबंधित  
शुल परावली भू-खंडों प्राधिकारी पेटन राफेल  
अपील प्राधिकारी भारतपुर की आदेशिका दिनांक  
10.9.18 की रोशनी में उभयपक्षकारण की अनुपस्थिति  
में अटक हाजिरी, अटक देरवी में बालि कर ही  
उठि ली। -इसके प्रकृत उभयपक्षकारण की अनुपस्थिति  
में गुवावगुल के आधार पर निस्तारित ही विषय  
जानकर केवल अनुपस्थिति में लाइटे डिपॉजिट  
जमा है। जबकि राफेल प्रकृत के आदेशिका



तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज

28.7.17 को नती पदावली न्यायालय के  
ऑरि और न कमीलार की हुक्मारे की  
मोरिस प्रसन्न इका। थोके कमीलार कमीलार  
इतिहास से परिचित हैं, यदि इन कमीलार  
की अनुवक्तु के आधार पर नहीं हुका प्रपा लीकमीलार  
के एक एकको पर विपरीत भाव पड़ेगा। लिहाज कमीलार  
की नखर पर लिया जावे।

तमील कमीलार के लक्ष्यो से एक सहमत हैं  
ऑर न्याय के नैतिक सिद्धांतों के मध्येनत प्रकृत  
की अनुवक्तु के आधार पर निर्णित किया जाता  
न्यायोचित हैं। लिहाज यह प्रत्येक प्र आप हित में  
स्वीकार किया जाता है। शल कमीलार अ-प्रबंध  
आधिकारी पदेके वापस्व शपस्व कमीलार अधिकारी अतप्र  
है शलख की नखर पुनः नए नखर पर इर्पकीर्ण  
यह वापदायी प्रवर्तन पर फैसल हुकर लेकर  
नखर से का विदा जाकर शामिल हममीता शल  
कमीलार रहे।

अतिरिक्त संग्राह्य आयुक्त

लक्ष  
263  
8-4-24